HARYANA GOVERNMENT
PERSONNEL DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 16th September, 2013.

No. 41/4/2010- 5 SII. -- Whereas, in the opinion of the Governor of Haryana, the exigencies of the Haryana Civil Service (Executive Branch) so require that special recruitment be made to the Service.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to rule 7 of the Haryana Civil Service (Executive Branch) Rules, 2008, the Governor of Haryana, after consultation with the Haryana Public Service Commission hereby notifies that 20 posts of Haryana Civil Service (Executive Branch) shall be filled up through special recruitment from members of Group 'B' and 'C' Services, from the following sources and in accordance with the method as set out hereinafter:-

1. Members of Group 'B' and Group 'C' Services of all the departments in the State of Haryana excluding Doctors, Engineers, Police Officers and Technical Staff shall be considered for the special recruitment. Members of Group 'B' and Group 'C' Services in the grade pay of ₹ 3600/- and above on the last date of submission of recommendations to the Chief Secretary shall only be considered.
2. To be eligible, the candidate should fulfil the following conditions as on the last date specified by the Chief Secretary, Haryana for the submission of recommendations:-
   (i) has completed 10 year's continuous Government Service either in Group 'B' or Group 'C' or taken together;
   (ii) has not attained the age of forty eight years;
   (iii) has not been charge-sheeted in a criminal proceeding or disciplinary proceeding for major penalty;
   (iv) is clear from vigilance angle;
   (v) is a graduate from a recognized University;
   (vi) should have at least seven ACRs of 'very good' category and three ACRs of not less than 'good' category during the last ten years;
   (vii) integrity has never been doubted in the career.

3. The Chief Secretary to the Government, Haryana shall invite the recommendations from the various departments with service

profile of the candidates in Form I. The candidate shall be assessed by the departments on the basis of scrutiny of their service record, relevant experience, academic achievements and other achievements. The department shall distribute the marks between the service records, experience, academic achievements and other professional achievements as follows:-

Out of maximum 100 marks, the weightage for each of the four components be given as follows:-

(i)	Service records with particular reference to ACRs for the last 10 years	70% weightage or 70 marks
(ii)	Relevant experience	10% weightage or 10 marks
(iii)	Academic achievements	10% weightage or 10 marks
(iv)	Other professional achievements	10% weightage or 10 marks

The department would assign 7 marks for "Outstanding", 5.5 marks for "very Good" and 4 marks for "Good" grading in each ACR. The names of the meritorious candidates shall be forwarded by the departments to the Chief Secretary to the Government, Haryana. The number of candidates to be recommended by the department shall not exceed the number of candidates allocated to each department in Annexure 'A'.

4. Chief Secretary to the Government, Haryana shall forward all the recommendations to the Haryana Public Service Commission. The Commission shall examine all the recommendations received from the Chief Secretary to the Government, Haryana and shall determine the suitability of candidates and shall forward a list of selected candidates, in order of merit and equal to the number of vacancies, to the Government.

P.K.CHAUDHERY,
Chief Secretary to Government, Haryana

FORM 'I'

SERVICE PROFILE OF THE CANDIDATES FOR THE SPECIAL RECRUITMENT TO THE HCS (EXECUTIVE BRANCH) FROM MEMBER OF GROUP 'B" and GROUP 'C' SERVICES OF GOVERNMENT DEPARTMENTS AGAINST THE VACANCIES OF THE YEAR 2012 AS ON 15.10.2013

Sr. No.	Name of the Recommending Authority	Name/Designation/Educational Qualification(s)	Home District	Caste in the case of the candidates of the reserved categories viz SCs/BCs etc.	Date of Birth and Age Y:M:D	Continuous Government Service and summary of post(s) held Y: M: D	Grading of ACRs from to	Details of adverse remarks in the ACRs, if any. No./date/year	Details of penalties, if any No./date/year
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		(a) Name: (b) Designation (c) Edu. Qualifications:			(a) DOB (b) Age		(a) Total No. of ACRs: (b)Outstanding: (c) Very Good: (d) Good: (e) Average: (f)Below average		

(Signature of the Recommending Authority)
Name:
Seal:

Annexure- 'A'

Number of recommendations allocated to various departments:-

Sr. No.	Name of Department	No. of Recommendations
1.	Advocate General	1
2.	Agriculture	5
3.	Animal Husbandry and Dairying	3
4.	Archaeology & Museums	1
5.	Architectural	1
6.	Achieves	1
7.	Ayurveda	1
8.	Civil Aviation	1
9.	Civil Secretariat	9
10.	Chief Electrical Inspector	1
11.	Chief Settlement Commissioner	1
12.	Consolidations of Holdings	1
13.	Cooperative Societies	5
14.	Commissioner Ambala	1
15.	Commissioner Hisar	1
16.	Commissioner Gurgaon	1
17.	Commissioner Rohtak	1
18.	Development and Panchayat	9
19.	Economic & Statistical Analysis	1
20.	Education Primary	5
21.	Education Secondary	5
22.	Education Higher	5
23.	Elections	1
24.	Employment	1
25.	Excise & Taxation	9
26.	Environment	1
27.	Electronic and Information Technology	1
28.	Employment State Insurance	1
29.	Financial Commissioner Revenue & Disaster Management	9
30.	Fisheries	1
31.	Food & Supplies	5

32.	Forests and Wild Life	5
33.	Health Services	5
34.	High Court of Punjab and Haryana	1
35.	Home Guard and Civil Defence	1
36.	Hospitality	1
37.	Horticulture	1
38.	Industries & Commerce	3
39.	Industrial Training and Vocational Education	3
40.	Institutional Finance and Credit Control	1
41.	Irrigation	3
42.	Information & Public Relation and Cultural Affairs	1
43.	Inquiry Officer, Vigilance	1
44.	Land Records	1
45.	Law & Legislative	1
46.	Labour Commissioner	5
47.	Local Audit	1
48.	Mines & Geology	1
49.	Police	1
50.	Power Reforms	1
51.	Prisons	1
52.	Printing & Stationery	1
53.	Prosecution	3
54.	PWD (B&R)	5
55.	PWD (Public Health)	5
56.	Public Service Commission	1
57.	Renewable Energy Sources	1
58.	Rural Development	5
59.	Reproductive and Child Health	1
60.	Science and Technology	1
61.	Sports & Youth Affairs	1
62.	Sports School, Rai	1
63.	Social Justice and Empowerment	3
64.	Supplies and Disposal	1
65.	State Vigilance Bureau	1
66.	State Legal Services Authority	1
67.	Small Savings	1

68.	Technical Education	5
69.	Tourism	3
70.	Town & Country Planning and Urban Estates	5
71.	Transport	5
72.	Transport Controller	5
73.	Treasuries and Accounts	1
74.	Vidhan Sabha	5
75.	Urban Local Bodies	5
76.	Welfare of SC & BC	1
77.	Women and Child Development	5
	Total Number of recommendations	199

हरियाणा सरकार
कार्मिक विभाग
अधिसूचना

दिनांकः 16 सितम्बर, 2013.

संख्या 41/4/2010–5एस.–II   चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) की इस प्रकार अपेक्षा है कि सेवा में विशेष भर्ती की जानी अति आवश्यक है:

इसलिए, अब, हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 के नियम 7 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद, इसके द्वारा अधिसूचित करते हैं कि हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के 20 पद निम्नलिखित स्त्रोत से तथा यहां दिए गए ढंग के अनुसार ग्रुप ख तथा ग सेवाओं के सदस्यों से विशेष भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगें:–

1- डाक्टर, इंजीनियरस, पुलिस अधिकारी तथा तकनीकी अमला को छोड़कर हरियाणा राज्य के सभी विभागों के ग्रुप ख तथा ग सेवाओं के सदस्य विशेष भर्ती के लिए विचार किए जाएंगें। मुख्य सचिव की सिफारिशों की प्रस्तुति की अन्तिम तिथि को केवल ग्रेड वेतन 3600/–रूपये तथा उपर के ग्रुप ख तथा ग सेवा के सदस्य विचार में लाये जाएंगें।.

2- पात्र होने के लिए सिफारिशों की प्रस्तुति के लिए मुख्य सचिव हरियाणा द्वारा विनिर्दिष्ट अन्तिम तिथि को उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी चाहिए:–

i) ग्रुप ख या ग्रुप ग में या दोनों मिला कर 10 वर्षो की लगातार सरकारी सेवा पूरी कर ली हो;

ii) अड़तालीस वर्ष की आयु का न हो;

iii) बड़ी शास्ति के लिए किसी दाण्डिक कार्यवाही या अनुशासनात्मक कार्यवाही से आरोपित न किया गया हो;

iv) चौकसी दृष्टिकोण से स्पष्ट हो;

v) किसी मायन्ताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो;

vi) अन्तिम दस वर्ष के दौरान बहुत अच्छा' प्रवर्ग की कम से कम 7 गोपनीय रिपोर्ट तथा 'अच्छा' प्रवर्ग की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तीन वर्ष से कम न हो;

vii) जीविका में सत्यनिष्ठा कभी भी सन्देहजनक न हो ।

3. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार प्ररूप 1 में उम्मीदवारों की सेवा रूपरेखा सहित विभिन्न विभागों से सिफारिशें मांगेगा। उम्मीदवार उनके सेवा अभिलेख, सुंसगत अनुभव, शैक्षिक उपलब्धियां तथा अन्य उपलब्धियों की संवीक्षा के आधारों पर विभागों द्वारा निर्धारित किए जाएंगें। विभाग सेवा अभिलेखों, अनुभव, शैक्षिक उपलब्धियां तथा अन्य व्यावसायिक उपलब्धियों के बीच अंकों को निम्नानुसार विभाजित करेगाः–

चार घटकों में से प्रत्येक के लिए महत्व अधिकतम 100 अंकों में से निम्नानुसार दिया जाएगाः–

1.	पिछले दस वर्षों के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोटर्स हेतु विशेष संदर्भ सहित	70% महत्व या 70% अंक
2.	सेवा अभिलेख	10% महत्व या 10% अंक
3.	शैक्षिक उपलब्धियां	10% महत्व या 10% अंक
4.	अन्य व्यावसायिक उपलब्धियां	10% महत्व या 10% अंक

विभाग प्रत्येक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उत्कृष्ट के लिए 7 अंक, बहुत अच्छा के लिए 5.5 अंक तथा अच्छा के लिए 4 अंक का श्रेणीकरण करेगा । सराहनीय उम्मीदवारों के नाम विभाग द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को भेंजे जाएंगें। विभागें द्वारा सिफारिश की जाने वाली उम्मीदवारों की संख्या अनुबंध क में प्रत्येक विभाग को आंबटित उम्मीदवारों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

4. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार सभी सिफारिशों को हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजेगें। आयोग, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से प्राप्त सभी सिफारिशों का परीक्षण करेगा तथा उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निर्धारण करेगा तथा योग्यता के क्रम में तथा रिक्तियों की संख्या के बराबर चयनित उम्मीदवारों की सूची सरकार को भेजेगा।

पी.के.चौधरी
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

प्रारूप 1

15.10.2013 को 2012 वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध सरकारी विभागों के ग्रुप ख तथा ग सेवाओं के सदस्यों से हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) की विशेष भर्ती के लिए उम्मीदवारों की सेवा रूपरेखाः–

कम संख्या	सिफारिश करने वाले प्राधिकारी का नाम	नाम/ पदसंज्ञा/शैक्षणिक योग्यताएं	गृह जिला	आरक्षित उम्मीदवार की दशा में जाति जैसा कि अनुसूचित जाति/ पिछड़ा वर्ग इत्यादि	जन्मतिथि एवं आयु साल.महीने.दिन	लगातार सरकारी सेवा अवधि और जिन पदों पर कार्य किया उसका विवरण	गोपनीय रिपोर्ट का वर्गीकरण	वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में अंकित प्रतिकूल टिप्पणियों का ब्यौरा यदि कोई हो संख्या/दिनांक /वर्ष	दाण्डिक का विवरण यदि कोई हो संख्या/दिनांक/ वर्ष
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		(क) नाम (ख) पदसंज्ञा (ग) शैक्षणिक योग्यता			(क) जन्मतिथि (ख) आयु		(क) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की कुल संख्याः (ख) उत्कृष्टः (ग) बहुत अच्छाः (घ) अच्छाः (ड़) औसतः (च) औसत से निम्नः		

(सिफारिश करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर)
नामः
मोहरः

अनुबन्ध 'क'

विभिन्न विभागों को आंबटित सिफारिशों की संख्या

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सिफारिशों की संख्या
1.	महाधिवक्ता, हरियाणा	1
2.	कृषि	5
3.	पशुपालन तथा डेयरी	3
4.	पुरातत्व तथा संग्रहालय	1
5.	वास्तुशिल्पीय	1
6.	अभिलेखागार	1
7.	आयुर्वेदा	1
8.	सिविल विमानन	1
9.	सिविल सचिवालय	9
10.	मुख्य बिजली निरीक्षक	1
11.	मुख्य समफीता आयुक्त	1
12.	चकबन्दी	1
13.	सहकारी समितियां	5
14.	आयुक्त अम्बाला	1
15.	आयुक्त, हिसार	1
16.	आयुक्त, गुड़गांव	1
17.	आयुक्त, रोहतक	1
18.	विकास तथा पंचायत	9
19.	आर्थिक एवं सांख्यिक	1
20.	प्राथमिक शिक्षा	5
21.	माध्यमिक शिक्षा	5
22.	उच्चतर शिक्षा	5
23.	चुनाव	1
24.	रोजगार	1
25.	आबकारी एवं कराधान	9
26.	पर्यावरण	1
27	आण्विक एवं सूचना प्रौद्योगिकी	1
28.	राज्य कर्मचारी बीमा	1
29.	वित्तायुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन	9
30.	मत्स्य पालन	1
31.	खाद्य एवं आपूर्ति	5
32.	वन एवं वन्य प्राणी	5
33.	स्वास्थ्य सेवाएं	5
34.	पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय	1
35.	गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा	1
36.	सत्कार संगठन	1
37.	उद्यान	1
38.	उद्योग एवं वाणिज्य	3
39	उद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवासिक शिक्षा	3
40.	संस्थागित वित्त एवं साख नियन्त्रण	1
41.	सिंचाई	3
42.	सूचना एवं जन सम्पर्क और सांस्कृति मामले	1
43.	जांच अधिकारी चौकसी	1
44.	भू अभिलेख	1
45.	विधि एवं विधायी	1

46.	श्रम आयुक्त	5
47.	स्थानीय लेखा परीक्षक	1
48	खनन एवं भू विज्ञान	1
49.	पुलिस	1
50.	विद्युत सुधार	1
51.	कारागार	1
52.	मुद्रण एवं लेखन	1
53.	अभियोजना	3
54.	लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	5
55.	लोक निर्माण जन स्वास्थ्य	5
56.	हरियाणा लोक सेवा आयोग	1
57.	गैर परम्परागत उर्जा स्त्रोत	1
58.	ग्रामीण विकास	1
59.	पुर्नउत्पादन एवं बाल स्वास्थ्य	1
60.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी	1
61.	खेल एवं युवा मामले	1
62.	खेल स्कूल, राई	1
63.	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता	3
64.	आपूर्ति एवं निपटान	1
65.	राज्य चौकसी ब्यूरो	1
66.	राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण	1
67.	लघु बचतें	1
68.	तकनीकी शिक्षा	5
69.	पर्यटन	3
70	नगर एवं ग्राम आयोजन और शहरी सम्पदा	5
71.	परिवहन	1
72	परिवहन नियन्त्रक	5
73.	खजाना एवं लेखा	1
74.	विधान सभा	5
75.	शहरी स्थानीय निकाय	5
76.	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण	1
77.	महिला एवं बाल विकास	5
	सिफारिशों की कुल संख्या	199